फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

राधेश्याम बनाम विक्रम वगै0

सं0 :– 35 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थी सं0 1 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पूर्व में दिनांक 04.04.2024 को प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 151 सीपीसी को खारिज किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस प्रा0 आपत्ति व प्रा0पत्र धारा 128 एल0आर0एक्ट पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09.04.2025 को पेश हों।	
09.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 311 / 297 रकबा 0.1058है0 वाके ग्राम डूंगा का बास, पटवार हल्का बडलोड, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करने आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 311 / 297 रकबा 0.1058है0 किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ है। उक्त भूमि कृषि भूमि नही है तथा माननीय न्यायालय को कृषि भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो विधि विरूद्व प्रार्थना पत्र है जिसे खारिज फरमाया जावें। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट, जवाब एवं आपत्ति अप्रार्थी व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि खसरा नम्बर 311 / 297 रकबा 0.1058है0 की किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसका पत्थरगढी आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रारम्भिक आपत्तियॉ स्वीकार की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर	